

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक- एफ4(ई) (एस-280/94)अलेसे-III/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

पुलिस थाना, जगदीशपुरा (आगरा) में दर्ज एफआईआर संख्या 134/2004 अन्तर्गत धारा 307 आईपीसी एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा दिनांक 30.04.2009 को गिरफ्तार करने एवं दिनांक 30.04.2009 से न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण विभागीय आदेश संख्या 26 पृष्ठांकन क्रमांक 2540-48 दिनांक 12.06.2009 के द्वारा श्री सुधीन्द्र पाल सिंह, क0लेखाकार को दिनांक 30.04.2009 से निलम्बित किया गया था। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -1, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 597/2010 एवं सत्र परीक्षण संख्या 598/2010 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2012 के द्वारा आरोपी श्री सुधीन्द्र पाल सिंह को धारा 307 भा.द.स. व धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।

अतः श्री सुधीन्द्र पाल सिंह, क0लेखाकार (निलम्बित) को उपस्थिति देने की दिनांक से अपीलीय निर्णय के अध्यक्षीन निलम्बन से बहाल किया जाता है एवं उन्हें आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुए मुख्यालय कोषाधिकारी, भरतपुर किया जाता है।

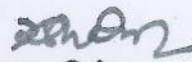

निदेशक

क्रमांक- एफ4(ई) (एस-280/94)अलेसे-III/693539

दिनांक:- 19/07/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, -वृत्त, भरतपुर
- 2 अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर
- 3 कोषाधिकारी, भरतपुर
- 4 श्री सुधीन्द्र पाल सिंह, क0लेखाकार (निलम्बित) द्वारा कोषालय, भरतपुर
- 5 निजी सहायक, निदेशक महोदय
- 6 जांच शाखा / श्री महेन्द्र गोयल, क0लेखाकार / पदस्थापन सीट
- 7 कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट प्रकाशित हेतु)
- 8 निजी / रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक [कार्मिक-II]

A.C.P.